उत्तर प्रदेश में 'इंडिया' गठबंधन : कांग्रेस और रालोद ने सपा से मांगी ज्यादा सीट

नई दिल्ली, 29 जनवरी (ब्यूरो)।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा अपने सहयोगी दल– कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), को राज्य की 80 में से 18 लोकसभा सीट दिये जाने की पेशकश रास नहीं आ रही है।

ये दोनों दल अपनी-अपनी 'ताकत' के आधार पर ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कांग्रेस को 11 और रालोद को सात सीट देने को कहा है।

कांग्रेस ने मांग की है कि उसे वर्ष 2009 में पार्टी द्वारा जीती गईं 21 से अधिक सीट दी जाएं, जबकि रालोद राज्य में सात के बजाय आठ सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 21 सीट जीती थीं, जबकि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 20 सीट । सपा ने 23 सीट पर परचम लहराया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 10 सीट जीतने में कामयाब रही थी। रालोद के खाते में पांच सीट आई थीं और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा। बाद में अखिलेश यादव द्वारा फिरोजाबाद सीट खाली करने के बाद उस साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है। रालोद के एक वरिष्ठ नेता ने सपा द्वारा दी गई सीट के बारे में कहा कि रालोद देवरिया लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ना चाहती है।

फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में केंद्रीय मंत्री समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को कहा कि पिछले साल अक्तूबर में कोच्चि के कलामस्सेरी में एक ईसाई धार्मिक सभा में हुए विस्फोटों के संबंध में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में राज्य भर में 53 मामले दर्ज किए गए हैं।

कलामस्सेरी विस्फोट मामला।

विधानसभा में विधायक एम नौशाद के एक सवाल का जवाब देते हुए विजयन ने कहा कि वाम सरकार राज्य में नफरत भड़काने की कोशिशों को एक गंभीर मामला मानती है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया कि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कुछ अन्य भाजपा नेताओं, कुछ आनलाइन समाचार पोर्टल व उसके संपादकों, दो मलयालम टेलीविजन चैनलों और उसके पत्रकारों सहित अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामले में 69 सोशल मीडिया लिंक हटाए गए हैं। विजयन ने कहा कि राज्य पुलिस प्रमुख ने फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने और उचित कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि 29 अक्तूबर, 2023 को कालामस्सेरी में एक गिरजाघर की प्रार्थना सभा के दौरान हुए विस्फोटों में आठ लोगों की जान चली गई थी जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

लक्ष्मी नगर शाखा
एफएफ-9, मंगल बाजार रोड, नई दिल्ली

ऋणी को नोटिस
(सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत)

सेवा में, दिनांकः 12.12.2023

रैफलेसिया टॉप्लिस प्रो. श्री मोहम्मद शबाज़ आलम, व्यावसायिक पताः आर 175/4 स्ट्रीट नंबर 9, रमेश पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092, व्यावसायिक पताः कॉर्पोरेट सुइट नंबर यूएम सीएस–1ए, अपर मेजेनाइन फ्लोर, अंसल प्लाजा मॉल, वैशाली, सेक्टर–1, जीजेडबी, यूपी–201010, गोदाम का पताः आर–243, स्ट्रीट नंबर 11, रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली–110092

संदर्भ : हमारी लक्ष्मी नगर शाखा के साथ ऋण सुविधाएं।

1.हम अपने पत्र क्रमांक **DBLAXM@ADV@2022&23@05** दिनांक 24–06–2022 का उल्लेख करते हैं जिसमें विभिन्न ऋण सुविधाओं की स्वीकृति और स्वीकृति की शर्तें बताई गई हैं। जैसा कि आगे बताया गया है, उपरोक्त मंजूरी के अनुसरण में आपने सुरक्षा प्रदान करने के बाद क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और उपयोग करना शुरू कर दिया। विभिन्न ऋण/ऋण सुविधा खातों में वर्तमान बकाया और ऐसी देयता के लिए सृजित सुरक्षा हित निम्नानुसार हैंः

क्रं. सं.	सुविधा की प्रकृति और प्रकार	सीमा	ब्याज दर	29.11.2023 से संविदात्मक बकाया और 30.11.2023 से प्रभावी भविष्य का ब्याज और एनपीए की तारीख से वसूली तक अन्य लागत शुल्क और खर्च का उल्लेख किया जाना चाहिए,	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरण के साथ सुरक्षा समझौता
1.	कैश क्रेडिट खाता नं. 72780500000295	रु.4000000.00	10.70% वार्षिक चक्रवृद्धि मासिक (स्वीकृति के अनुसार) वर्तमान आरओआई 12.05% प्रतिवर्ष संयोजित मासिक और दंडात्मक ब्याज 2%	रु.39,99,410.00 + 30.11.2023 से प्रभावी भविष्य का ब्याज और एनपीए की तारीख से वसूली तक अन्य लागत शुल्क और लागत शुल्क और खर्च	निम्न पते पर गारमेंट्स स्टॉक और बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधकः आर 175/4 स्ट्रीट नंबर 9, रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली–110092, इसके अलावा यहां: आर–243, स्ट्रीट नंबर 11, रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली–110092
	कुल	रु.4000000.00		रु.39,99,410.00 + 30.11.2023 से प्रभावी भविष्य का ब्याज और एनपीए की तारीख से वसूली तक अन्य लागत शुल्क और लागत शुल्क और खर्च	

2. जैसा कि आप जानते हैं, आपने दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त ऋणों/बकाया पर ब्याज के भुगतान में चूक की है।
3. आपके द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार 29–11–2023 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे बार–बार अनुरोध और मांगों के बावजूद आपने ब्याज सहित अतिदेय ऋणों का भुगतान नहीं किया है।
4. उपरोक्त पैरा 1में उल्लिखित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत सुरक्षित ऋण सुविधाओं के संबंध में अपनी देनदारियों को पूरा करने में आपकी असमर्थता के संबंध में और आपके खाते को एक गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, हम आपको वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत नोटिस देते हैं, और आपको पूरा भुगतान करने और बैंक को उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्टानुसार रु. 39,99,410.00 + 30.11.2023 से प्रभावी भविष्य का ब्याज और एनपीए की तारीख से वसूली तक अन्य लागत शुल्क और लागत शुल्क और खर्च को इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। हम आपको आगे यह भी नोटिस देते हैं कि भुगतान की तारीख तक ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जिस पर कृपया ध्यान दें।
5. कृपया ध्यान दें कि जब तक पूरा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक क्रेडिट सुविधा के लिए ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज लगता रहेगा।
6. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की 13 की उप–धारा (3) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा (सामान्य कार्यवाही के अलावा अन्य) के माध्यम से ऊपर पैरा 1 में संदर्भित किसी भी प्रतिभूति संपत्ति को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है। हम यह जोड़ सकते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) में निहित उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना, अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।
7. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर भी आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार सार्वजनिक नीलामी/उद्धरण आमंत्रित करनेधनिविदाधनिजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि से पहले आपके द्वारा किसी भी समय यदि बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ देय राशि की राशि जमा की जाती है तो आप प्रतिभूति संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार नोटिस के प्रकाशन के बाद, आपके पास प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।
8. कृपया ध्यान दें कि यह मांग नोटिस पूर्वाग्रह के बिना है और किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों की छूट के रूप में निर्मित नहीं किया जाएगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, हमारे लिए बकाया राशि के संबंध में आगे की मांग करने का अधिकार शामिल है।

अधिकृत अधिकारी

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

आस्ति रिकवरी शाखा, नं. 6, 3सरा तल, सामने मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005
मोबाइल : 7823919520, फोन : 011–35008283 | ई-मेल : arbdelhi@kvbmail.com

ई-नीलामी सूचना ई-नीलामी 20.02.2024 को

सरफेसी अधिनियम, 2022 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को एव विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक सम्पत्ति जिसका कब्जा द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है जैसे है", तथा "जो भी है वहीं है" तथा "आश्रय रहित" निम्नलिखित विवरणों के अनुसार की जायेगी :

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	उधारदाता शाखा	सम्पत्ति की स्थिति	सम्पत्ति की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी राशि (रु. में)	सम्पर्क व्यक्ति/दूरभाष नं./ई-मेल
1	मैसर्स शिवालिक इंटरनेशनल	करोल बाग	886/1, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005	वाणिज्यिक दुकान	37,00,000	3,70,000	राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvbmail.com
2			886/1, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005	वाणिज्यिक दुकान	34,00,000.00	34,00,000	राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvbmail.com
3	मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड	गुरुग्राम	प्लॉट नं. 35, फेज–VI, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेक्टर–37, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा पर स्थित औद्योगिक भूमि, क्षेत्रफल माप 488.52 वर्ग मीटर	औद्योगिक	4,80,00,000	48,00,000	राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvbmail.com

कर्जदारों का विवरणः क्र.सं. 1 एवं 2: करोलबाग शाखा कर्जदार का नाम – मैसर्स शिवालिक इंटरनेशनल, श्री मनीष मेहता की एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म, और गारंटर श्री मनीष मेहता, पुत्र श्री अनिल कुमार मेहता, निवासी क्यूडी–41, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली–110088 और श्री अनिल कुमार मेहता, निवासी क्यूडी–41, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली–110088। कुल देयः 31.12.2023 तक रुपये 4,95,79,322.38 (रुपये चार करोड़ पिचानबे लाख उन्यासी हजार तीन सौ बाईस एवं अड़तीस पैसे मात्र) तथा अतिरिक्त ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उस पर व्यय।

क्रम संख्या 3: गुड़गांव शाखा कर्जदार का नाम– मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व, पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : 7–डी, मारुति औद्योगिक परिसर, सेक्टर 18, उद्योग विहार गुड़गांव हरियाणा – 122015, भारत, 1) श्री सुधीर ढींगरा, निवासी : एफ–25, राधे मोहन ड्राइव, गदाई पुर, महरौली, नई दिल्ली। 2) श्री के.के. कोहली, निवासी : ए–2 गीतांजलि एन्क्लेव, मालवीय नगर, दिल्ली–110017, 3) श्री अनूप थाटई, निवासी ए–25/14, डीएलएफ फेज–1, गुड़गांव –122002। कुल बकायाः 31.12.2023 तक रु. 7,38,65,496.77 (रुपये सात करोड़ अड़तीस लाख पैंसठ हजार चार सौ छियानबे और सतहत्तर पैसे मात्र) अतिरिक्त ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उस पर खर्च के साथ।

बंधक संपत्तियां: क्र.सं. 6: वाणिज्यिक दुकान / हॉल / संपत्ति लगभग 350 वर्ग फुट भूमि तल में, संख्याः 886/1, ईस्ट पार्क रोड, करोलबाग, नई दिल्ली –110 005 बिना छत / टेरेस के अधिकार के साथ–साथ भवन के नीचे की भूमि में आनुपातिक हिस्सेदारी बिक्री विलेख संख्याः 4453/2006 दिनांक 12.06.2006 द्वारा, सीमाएं : उत्तर : अन्य संपत्ति दक्षिण : सामान्य मार्ग पूर्व : अन्य दुकान पश्चिम : प्रवेश द्वार आरक्षित मूल्य – रु. 37,00,000.00 ईएमडी– रु. 3,70,000.00

क्र.सं. 2 वाणिज्यिक संपत्ति/दुकान/जगह/हॉल, भूतल (पीछे की ओर) में बिना छत के अधिकार के, माप लगभग 320 वर्ग फुट, और भूमि के आनुपातिक अविभाजित हिस्से के साथ भवन संख्याः 886/1, ईस्ट पार्क रोड, करोलबाग, दिल्ली –110 005 और बिक्री विलेख संख्याः 1041/2005 दिनांक 10.02.2005 द्वारा, सीमाएं : उत्तर : अन्य संपत्ति दक्षिण : प्रवेश पूर्व : खुला क्षेत्र पश्चिम : अन्य दुकान आरक्षित मूल्य– रु. 34,00,000.00– ईएमडी– रु. 3,40,000.00

क्रम सं. 3. संपत्ति प्लॉट नंबर–35, फेज–VI, औद्योगिक संपदा, सेक्टर–37, उद्योग विहार गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, माप क्षेत्र 488.52 वर्ग मीटर (कन्वेयंस डीड के अनुसार) और 450 वर्ग मीटर (आवंटन क्षेत्र के अनुसार) . उत्तरः प्लॉट नंबर 9–13, दक्षिणः अजय हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड, पूर्वः पंवार हॉस्पिटल, पश्चिमः पिंक इंटरप्राइजेज, आरक्षित मूल्य – रु. 4,80,00,000.00, ईएमडी – रु. 48,00,000.00

आस्तियों का निरीक्षण	**30.01.2024 से 19.02.2024 तक 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक सभी कार्यकारी दिनों में**
ऑनलाइन संविदा तथा आवेदन प्रपत्र जमा करने करने की अन्तिम तिथि तथा समय	**तिथि : 19.02.2024 समय : 5 बजे अप.**
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	ई-नीलामी पोर्टल पर 20.02.2024 **को 11.00 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक बिक्री समाप्ति तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित ई-नीलामी होगी**
नोडल बैंक का खाता नाम	**द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय उपर्युक्त खातों के पक्ष में खाता सं. : 1101351000000973, आईएफएससी कोड : KVBL0001101**
सम्पर्क व्यक्ति	उपरोक्त के अनुसार

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.kvb.co.in/Property पर Auction के तहत तथा साथ ही हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता **मैसर्स 4क्लोजर** के वेब पोर्टल https://bankauctions.in पर प्रावधानित लिंक देखें।

पूर्व का ऋणभार : निल (बैंक के संज्ञान में लाया गया)

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक 15 दिवसीय सूचना

कर्जदार/रों तथा जमानती/यों से एतद्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त बकायों को अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर अनुसूचित सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत सहित वसूल किया जायेगा।

स्थान : दिल्ली — **कृते द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड**
तिथि : 30.01.2024 — **अधिकृत प्राधिकारी**

यूनियन बैंक Union Bank of India

ग्राम एवं पोस्ट बादशाहपुर
जिला गुड़गांव हरियाणा

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का एक्ट 54) के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बादशाहपुर** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार श्री पूरन सिंह (1. ओमवती पत्नी पूरन सिंह 2. बरखा यादव पुत्री पूरन सिंह 3. प्रियांशु यादव पुत्र पूरन सिंह कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) को एक मांग सूचना दिनांकित 08-11-2023 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 19,34,249/- (रु. उन्नीस लाख चौतीस हजार दो सौ उनचास मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सम्पत्ति का **कब्जा** सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक **23-01-2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बादशाहपुर शाखा के प्रभार वास्ते राशि रू 19,34,249/- और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगी।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 1789 खेवत / खाता नं. रैक्ट नं. 73, किला नं. 19/1, खेवत / खाता नं. 689/764, रैक्ट. नं. 73, 20/2 खेवट खाता नं. 692/764, रैक्ट. नं. 73, किला नं. 18/2, खेवट/खाता नं. 693/765, रैक्ट नं. 73, किला नं. नं. 73, किला नं. 19/2 गांधीनगर अर्थात विक्रय विलेख नं. 2127 दिनांक 07–01–2009 वीपीओ बादशाहपुर, उप तहसील बादशाहपुर, जिला–गुड़गांव हरियाणा–122101 में पंजीकृत चौहदीः उत्तर में – कृष्ण का मकान, दक्षिण में – रास्ता, पूरब में – श्री खुशी राम का मकान, पश्चिम में – श्री लाखन का मकान

दिनांकः 23.01.2024, स्थान : बादशाहपुर — **प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–I
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015,
फोन: 011-25419177, 25412977, ईमेल : sbi.05169@sbi.co.in

कब्जा सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता (1) मैसर्स एबीएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कस्तूरी देवी फाउंडेशन की यूनिट), पंजी पताः 46/13 कल्याणी, सिविल लाइन्स, मेरठ यूपी–250001 (2) मैसर्स एबीएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कस्तूरी देवी फाउंडेशन की यूनिट, सलारपुर, जलालपुर, मवाना रोड, मेरठ यूपी–250001 (इसके बाद उधारकर्ता), और गारंटर (1) श्री अतुल भारद्वाज पुत्र सत्य देव भारद्वाज, 46/13 कल्याणी, सिविल लाइन्स, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250001 (2) श्रीमती प्रीति शर्मा पुत्री सत्यदेव भारद्वाज, फ्लैट नं. 504, 5वीं मंजिल, पंचशील प्रिमरोज, ब्लॉक नं. 1, एनएच–24, ग्राम हरसो, हापुड रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201010 (3) श्री सत्य देव बहराद्वाज पुत्र श्री चंद भारद्वाज, 46/13 कल्याणी, सिविल लाइन्स, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 (4) श्रीमती आरती भारद्वाज पत्नी अतुल भारद्वाज,** 46/13, कल्याणी, सिविल लाइंस, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 (इसके बाद गारंटर) को एसबीआई, एसएआरबी–1, नई दिल्ली शाखा (05169) द्वारा एक मांग नोटिस दिनांक **09-11-2023** को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू **8,46,76,572.17 (रू. आठ करोड़ छियालीस लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ बहत्तर और पैसे सत्रह मात्र) और दिनांक 09.11.2023 तक और भविष्य का ब्याज, खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 4 उक्त नियमो के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा **24.01.2024** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा, 23, नजफगढ़ रोड़, ज़खीरा फ्लाईओवर के पास, नई दिल्ली** के प्रभार वास्ते राशि रू **8,46,76,572.17 (रू. आठ करोड़ छियालीस लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ बहत्तर और पैसे सत्रह मात्र) और दिनांक 09.11.2023 तक उक्त रशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, सभी आकस्मिक खर्चे, लागत एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(i) व्यवसायिक प्लॉट सर्वे खसरा नं. 839/2, सलारपुर/जलारपुर, मेरठ, यूपी–250001 में स्थित (शहरी), कुल क्षेत्रफल 4050 वर्ग मी., यह सम्पत्ति कस्तूरी देवी फाउंडेशन से संबंधित है।

(ii) व्यवसायिक प्लॉट सर्वे खसरा नं. **847,848,849,850**, गाँव सलारपुर जलारपुर, मवाना, मेरठ, यू.पी. – 250001 में स्थित (शहरी), कुल क्षेत्रफल 5940 वर्ग मी., यह सम्पत्ति सुश्री आरती भारद्वाज से संबंधित है।

(iii) व्यवसायिक बिल्डिंग सर्वे नं. : खसरा नं. **845/1M, 846/1M, 851/1, 852/1, 843/2, 844M & 865M** मेरठ सलारपुर जलारपुर, यू.पी–250001 में स्थित (शहरी), क्षेत्रफल 20900 वर्ग मी., यह सम्पत्ति कस्तूरी देवी फाउंडेशन से संबंधित है।

दिनांक : 24-01-2024 स्थान : मेरठ — **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

LIC HFL LIC HOUSING FINANCE LTD

एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः बॉम्बे लाईफ बिल्डिंग, दूसरा तल, 45/47, वीर नरीमन रोड, मुम्बई-400001
क्षेत्रीय कार्यालयः द्वितीय तल, जीवन बिहार बिल्डिंग, 3 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001. सीआईएनः L65922MH1989PLC052257

अचल सम्पत्ति के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/बंधककर्ताओं को कथित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की थी। किन्तु, कर्जदार/बंधककर्ता कथित बकाया राशि को चुकाने में विफल रहे, अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों पर भौतिक कब्जा कर लिया है।

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक कब्जा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया, कर्जदार/गारंटरों मैसर्स प्राइम इंफ्रा पार्क प्रा. लिमिटेड, मैसर्स मुक्तांगन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री अजीत बी. कुलकर्णी, श्री रवि अजीत कुलकर्णी, श्रीमती उषा बी. कुलकर्णी से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) को देय राशि की वसूली के लिए 16 फरवरी 2024 को 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 23,00,00,000/- (रुपये तेईस करोड़ मात्र) होगा और जमा धरोहर राशि रु 2,30,00,000/- (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र) होगी।

ऋण खाता सं. / कर्जदार तथा जमानतियों के नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	नियत आरक्षित मूल्य	ईएमडी (रु.) / बोली वृद्धि राशि	निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी संग्रह खाता विवरण
1. मैसर्स प्राइम इंफ्रा पार्क प्रा. लिमिटेड 2. मैसर्स मुक्तांगन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड 3. मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4. श्री अजीत बी. कुलकर्णी 5. श्री रवि अजीत कुलकर्णी 6. श्रीमती उषा बी. कुलकर्णी ऋण खाता संख्याः 300000000026	540 वर्ग गज या 451.67 वर्ग मीटर या उसके आस-पास की सभी भूमि और जमीन के साथ-साथ माप 5412 वर्ग फुट की सीटीएस संख्या 884,884/1 और 884/2 वाली इमारत, प्लॉट नंबर 70-क है, गांव चेंबूर, तालुका चेंबूर, मुंबई, उपनगरीय जिला, मुंबई मैसर्स मुक्तांगन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड	16.09.2019	रु. 23,00,00,000/- (रुपये तेईस करोड़ मात्र)	रु. 2,30,00,000/- (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र) / बोली वृद्धि : रु. 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र)	5 फरवरी, 2024 से 13 फरवरी, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 6.00 बजे अप.	लाभार्थी का नामः एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाभार्थी शाखा का नामः एक्सिस बैंक, सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन हब खाता संख्या HFLENROPROJ3026 आईएफएससी कोडः UTIB0CCH274

ई-नीलामी की वेबसाइट	https://www.auctionbazar.com
निविदा/मुहरबन्द संविदा जमा करने की अंतिम तिथि	15 फरवरी, 2024 को 5:00 बजे अप. से पूर्व (केवल ऑनलाइन मोड में)
ई-नीलामी की तिथि	16 फरवरी, 2024 को 02:00 बजे अप. से 04:00 बजे अप.

आगे उक्त संपत्तियों/संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए यह सार्वजनिक सूचना (सरफैसी, अधिनियम 2002 और उसके तहत नियमों के नियमों और शर्तों के अनुसार) एलआईसीएचएफएल "जैसा है जहां है आधार" और "जो है यही है आधार" पर उक्त संपत्तियों की ई-नीलामी संचालित करने में प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

1. यह ई-नीलामी **"जैसा है जहां है", "जो है यही है", "जो कुछ भी है वहीं है" और "आश्रय रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है और "ऑनलाइन"** आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी एलआईसी-हाउसिंग फाइनेंस द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता "मैसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड" के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.auctionbazar.com** पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदोता सेवा प्रदाता मैसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, +918370969696, +91 8886667111, ई-मेल आईडी : **contact@auctionbazaar.com. shiva@auctionbazaar.com.** नीलामी पोर्टल-**www.auctionbazaar.com** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
3. ई-नीलामी बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तो/यहां उल्लिखित नियम और शर्तो/वेबसाइट के अधीन है और साथ ही इच्छुक/भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों में निहित शर्तों के अधीन भी हैं।
4. ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता के पास अपना स्वयं का ईमेल पता होना आवश्यक है।
5. एक बार इच्छुक बोलीदाता औपचारिक रूप से एलआईसीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के समक्ष एक योग्य निविदाकर्ता के रूप में पंजीकृत हो जाता है, तो उसे दस्तावेज जमा करके ई-नीलामी बोली प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लेने के लिए अपनी रुचि व्यक्त करनी होगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की जिम्मेदारी केवल निविदाकर्ता/ऑनलाइन बोलीदाता की होगी।
6. उक्त संपत्तियों को ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
7. उक्त जमा/ओं को सफल बोलीदाताओं के मामले में समायोजित किया जाएगा, अन्यथा वापस कर दिया जाएगा। उक्त जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं देय होगा।
8. यदि सफल बोलीदाता भुगतान करने में चूक करता है या सीलबंद निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों का किसी भी तरह से पालन करने में विफल रहता है, तो प्रदत्त जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और जब्त की गई राशि के लिए उसका कोई दावा नहीं होगा।
9. उक्त जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के साथ प्रस्ताव एनईएफटी/आरटीजीएस, ईएमडी और पैन कार्ड और (आधार कार्ड पता प्रमाण सहित केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी) के माध्यम से सेवा प्रदाता को प्रस्तुत किया जा सकता है।
10. यह कि, निविदाएं खोलने के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं, जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक पर अपनी बोली प्रस्तुत की है, को बोली राशि बढ़ाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर एक अवसर दिया जाएगा।
11. बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, सफल बोलीदाता को पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करना होगा, जिसमें विफल रहने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर देय है। निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को सफल बोली लगाने वाले को जब्ती की कोई अन्य सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।
12. बोलीदाता 'कैविएट एम्प्टर' (क्रेता सावधान) के सिद्धांत से बंधे हैं और किसी भी ऋणभार, वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, आयकर, उत्पाद शुल्क, श्रम बकाया, बिजली और रखरखाव, फर्म या प्रतिभूत संपत्ति का बकाया आदि का पता लगाने के लिए उन्हें अपने स्वयं के ड्यू डिलिजेंस करने की सलाह दी जाती है। सफल बोलीदाताओं को बिक्री मूल्य के अलावा सम्पत्ति से संबंधित सभी व्यय यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसायटी शुल्क, बिजली शुल्क, जल शुल्क, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, (यदि लागू हो), और अन्य सभी आकस्मिक शुल्क, लागत सहित सभी व्यय से संबंधित खर्च वहन करना होगा।
13. सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र पर देय शुल्क/प्रभार, जैसे पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर, या प्रतिभूत संपत्ति को उसके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए देय कोई अन्य शुल्क वहन करना होगा।
14. बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोली लगाने वाले के नाम पर और संपूर्ण/बिक्री मूल्य की प्राप्ति के बाद ही जारी किया जाएगा।
15. एतद्द्वारा कर्जदार, बंधककर्ता/गारंटर/जमानतियों को नोटिस दिया जाता है कि वे ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों के अनुसार उपरोक्त संपत्तियों को खरीदने के इच्छुक खरीदार/क्रेता को ला सकते हैं।
16. अनुरोध पर और प्राधिकृत अधिकारी की सुविधा के अनुसार उक्त संपत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।
17. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
18. एलआईसीएचएफएल ऊपर वर्णित संपत्तियों पर किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **"जैसा है जहां है", "जो है यही है", "जो कुछ भी है वहीं है"** और आश्रय रहित आधार पर की जाएगी।
19. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बिना कोई कारण बताए या पूर्व सूचना दिए बिना निविदा बिक्री/नीलामी को रद्द/स्वीकार/अस्वीकार/परिवर्तन/संशोधित/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
20. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई अन्य ऋणभार नहीं है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बिक्री के तहत संपत्ति के संबंध में किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार और ऋणभार, संपत्ति कर, या सरकार या किसी अन्य के लिए किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
21. यह बिक्री एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा पुष्टि के अधीन है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों और संपत्तियों के पूर्ण विवरण के लिए कृपया अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा वेबसाइट www.auctionbazar.com का संदर्भ लें या https://online.lichouding.com/eauction देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 8(6) एवं 9(1) के तहत 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

स्थानः मुम्बई दिनांकः 29.01.2024 — **प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.**

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India. Initial public offer of equity shares on the main board of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, the "Stock Exchanges") in compliance with Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations").

(Please scan the QR code to view the Prospectus)

NOVA™ AGRITECH LIMITED

NOVA AGRITECH LIMITED

Our Company was incorporated as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 on May 9, 2007 at Hyderabad, Andhra Pradesh as *"Nova Agritech Private Limited"*. The name of our Company was subsequently changed to *'Nova Agritech Limited'*, upon conversion into a public company, pursuant to a shareholders' resolution dated September 08, 2018. and a fresh certificate of change of name was issued by the Registrar of Companies, Hyderabad ("**RoC**") on September 24, 2018. For further details in relation to change in name and Registered Office of our Company, please see the section titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 221 of the Prospectus.

Corporate Identity Number: U01119TG2007PLC053901
Registered and Corporate Office: Sy.No.251/A/1, Singannaguda Village, Mulugu Mandal, Siddipet, Medak, Telangana – 502279; **Tel:** +91 84 54253446
Contact Person: Neha Soni, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 84 54253446; **E-mail:** ipo@novaagri.in; **Website:** www.novaagri.in

OUR PROMOTERS: SURAKSHA AGRI RETAILS (INDIA) PRIVATE LIMITED, YELURI FAMILY TRUST, MALATHI S AND KIRAN KUMAR ATUKURI

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 3,50,75,693 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2/- EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 41/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 39/- PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UPTO ₹ 14,381.03 LAKHS (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH OFFER OF UP TO 2,73,17,073 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 11, 200.00 LAKHS BY OUR COMPANY (THE "FRESH OFFER") AND AN OFFER FOR SALE OF 77,58,620 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 3,181.03 LAKHS BY NUTALAPATI VENKATASUBBARAO (SELLING SHAREHOLDER) (AND SUCH OFFER FOR SALE OF EQUITY SHARES BY THE SELLING SHAREHOLDER THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER WOULD CONSTITUTE 37.91% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE "OFFER FOR SALE" AND TOGETHER WITH THE FRESH OFFER, THE "OFFER".

CORRIGENDUM

On Page 22 of the Prospectus dated January 28, 2024, filed on January 28, 2024, with Registrar of Companies, Telangana at Hyderabad ("Prospectus") under the chapter titled "Summary of the Offer Document" and under the heading "Objects of the Offer", the amount pertaining to the General Corporate purpose which will be financed from Net Proceeds in the table be read as ₹ 624.45 lakhs instead of ₹ 312.73 lakhs and the amount mentioned as Total be read as ₹ 10,094.83 lakhs instead of ₹ 9,783.11 lakhs.

On Page 94 of the Prospectus under the chapter titled "Objects of the Offer" and under the heading "Fresh Offer", the amount pertaining to the General Corporate purpose which will be financed from Net Proceeds in the table be read as ₹ 624.45 lakhs instead of ₹ 312.73 lakhs and the amount mentioned as Total be read as ₹ 10,094.83 lakhs instead of ₹ 9,783.11 lakhs.

On page 95 of the of the Prospectus under the chapter titled "Objects of the Offer" and under the heading "Net Proceeds" the amount pertaining to (Less) Offer expenses in relation to the Fresh Offer to be borne by our Company in the table be read as ₹1,105.17 lakhs instead of ₹1,416.89 lakhs and the Net Proceeds in the table be read as ₹10,094.83 lakhs instead of ₹9,783.11 lakhs.

On Page 95 of the of the Prospectus under the chapter titled "Objects of the Offer" and under the heading "Utilisation of Net Proceeds and Schedule of Implementation and Deployment" the amount pertaining to General corporate purposes under the column Amount to be funded from Net Proceeds and under the Fiscal 2024 sub column under the column Amount to be deployed from the Net Proceeds be read as ₹ 624.45 lakhs instead of ₹ 312.73 lakhs and the amount mentioned as Total be read as ₹ 10,094.83 lakhs instead of ₹ 9,783.11 lakhs and the amount mentioned as Total under the Fiscal 2024 sub column under the column Amount to be deployed from the Net Proceeds be read as ₹ 2,557.34 lakhs instead of ₹ 2,245.62 lakhs.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
KEYNOTE	BajajCapital	Bigshare Services Pvt. Ltd.
Keynote Financial Services Limited The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai – 400 028 **Tel:** +91 22 6826 6000 **E-mail:** mbd@keynoteindia.net **Website:** https://keynoteindia.net **Investor grievance e-mail:** investors@keynoteindia.net **Contact person:** Radha Kirthivasan/ Sunu Thomas **SEBI Registration No:** INM000003606	**Bajaj Capital Limited** Mezzanine Floor, Bajaj House, 97, Nehru Place, New Delhi -110019, India **Tel:** +91 11 4169 3000; **E-mail:** info@bajajcapital.com **Website:** www.bajajcapital.com **Investor grievance e-mail:** info@bajajcapital.com **Contact person:** P. Balraj **SEBI Registration No:** INM000010544	**Bigshare Services Private Limited** Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, India **Tel:** +91 22 6263 8200; **Facsimile:** +91 22 6263 8280 **Email:** ipo@bigshareonline.com; **Investor grievance email:** investor@bigshareonline.com **Contact Person:** Jibu John **Website:** www.bigshareonline.com **SEBI Registration Number:** INR000001385

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Neha Soni **NOVA AGRITECH LIMITED** Sy.No.251/A/1.Singannaguda Village, Mulugu Mandal, Siddipet Medak Telangana - 502279. **Tel:** +(91) 84 54253446; **E-mail:** ipo@novaagri.in **Website:** www.novaagri.in	Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer, the Book Running Lead Managers or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer-related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode or other means.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

For **NOVA AGRITECH LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Neha Soni
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Siddipet, Telangana
Date: January 29, 2024

NOVA AGRITECH LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a Prospectus dated January 28, 2024 with the RoC. The Prospectus is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLMs i.e., Keynote Financial Services Limited at https://keynoteindia.net and Bajaj Capital Limited at www.bajajcapital.com, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Company at www.novaagri.in. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 29 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but can only rely on the information included in the Prospectus.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no offering of securities is being made in the United States.

CONCEPT

www.readwhere.com